फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

गोपीशंकर बनाम सरकार

मुकदमा संख्या /वर्ष : 126/2017

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/9/23	पत्रावली पेश हुई. अधिवक्ता संघ द्वारा ~~न्यायिक~~/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31/10/23 पेश हुई।	
	31/10/23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी [illegible] चुनाव-2023 में व्यस्त होने से [illegible] में वर्णित तारीख पेशी को जाकर पत्रावली पूर्व [illegible] दिनांक 07/12/23 को पेश हो।	
	07/12/23	पत्रावली पेश हुई. अधिवक्ता संघ द्वारा ~~न्यायिक कार्य~~ का ~~बहिष्कार~~ हड़ताल करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/3/24 पेश हुई	
	12/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 14/3/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	14/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली आदेश के विचाराधीन है। वकील उभय पक्षों की बहस को मनन किया गया, तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अ.पत्र, जवाब दावा पत्र, तहसीलदार	

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		जवाब पेश अन्य दस्तावेजात को अवलोकन करने पर ग्रामीणजनों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल. आर. एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल दर्ज रजिस्टर होकर [illegible] तथा बाद [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
126/2017	27/07/2017	14/03/2024

1. गौरीशंकर पुत्र सीताराम
2. दिनेश चन्द पुत्र सीताराम
3. उमाशंकर पुत्र सीताराम

समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम माथासुला तहसील जमवारामगढ हाल आंधी, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील जमवारामगढ हाल आंधी जिला जयपुर राजस्थान ।
2. भौरीलाल पुत्र बिरदा जाति मीना निवासी ग्राम माथासुला तहसील जमवारामगढ हाल आंधी, जिला जयपुर।
3. मूली देवी पत्नि रमेश जाति मीना निवासी ग्राम माथासुला तहसील जमवारामगढ हाल आंधी, जिला जयपुर।
4. कानाराम पुत्र रमेश जाति मीना निवासी ग्राम माथासुला तहसील जमवारामगढ हाल आंधी, जिला जयपुर।
5. बोदूराम पुत्र रमेश जाति मीना निवासी ग्राम माथासुला तहसील जमवारामगढ हाल आंधी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री रामकरण शर्मा – वकील प्रार्थीगण।
श्री राजेश कुमार पारीक – अप्रार्थीगण।
पैराकार सरकार – उपस्थित।

प्रार्थनापत्र बाबत् नक्शा दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण नक्शा दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि ग्राम माथासुला पटवार मण्डल माथासुला तहसील जमवारामगढ हाल आंधी जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 944 रकबा 4.20 हैक्टेयर, ख0न0 944/1246 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 944/1247 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 4.22 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसके गत खसरा नम्बर 217/2 थे जिसके उक्त हाल नवीन खसरा नम्बर कायम किये गये हैं। गत खसरा नम्बर 217/2 प्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज आराजियात थी जो राजस्व रिकार्ड मुताबिक नक्शें में तामीम शुदा खातेदारी रही है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहें है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 217/2 हाल खसरा नम्बर 944, 944/1246, 944/1247 कायम किये गये है, के नवीन नक्शें में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की जगह खसरा नम्बर 944/1251 व 942/1244 की तरमीम को प्रार्थीगण की खातेदारी नक्शें से हटाया जाकर नक्शा पूर्व खसरा नम्बर 217/2 की नक्शा तरमीम के अनुसार हाल नवीन नक्शा दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उप खण्ड अधिकारी

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। दिनांक 15.01.18 को अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पारीक ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थित हुए तथा दिनांक 19.06.2018 को अप्रार्थीगण 2 ता 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे शामिल फाईल किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जवाव प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि मिन अप्रार्थी की भूमि ख0न0 942/1244 और 944/1251 का हाल नक्शा कब्जे काश्त अनुसार रकबा बरारी करते हुये कायम किया गया है जिसका सेटलमेंट विभाग को अधिकार प्राप्त है। जो नवीन नक्शा बनाया गया है वह मौके पर भूमियों के कमी बेशी रकबे अनुसार रकबा बरारी करते हुये कायम किया गया है और खसरा नम्बर 942/1244, 944/1251 सही कायम किये गये है जिसके अनुसार मिन अप्रार्थी काबिज है जिसको दुरूस्त किये जाने की कोई आवश्यकता नही है। भू प्रबंधक विभाग को खतेदारों के जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार नक्शों को रकबा बरारी करते हुये दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है और इसी उद्वेश्य से नक्शों को कमी बेशी रकबे को दुरूस्त कर नवीन नक्शा कायम करने हेत उक्त कार्यवाही की जाकर मिन अप्रार्थीगण की भूमि कब्जे काश्त अनुसार एवं रकबे अनुसार सही कायम की गई है जिसमें विभाग ने कोई क्षेत्राधिकार विहीन कार्य नही किया है। इस प्रकार से आधारहीन होने से प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है। मौके एवं रिकार्ड में कोई अन्तर नही है और ना ही तरमीम गतल की गई है और प्रार्थीगण की किसी भूमि में मिन अप्रार्थीगण रास्ता नही निकाल रहे है। तरमीम सही है प्रार्थना पत्र निराधार पेश किया गया है। पूर्व खसरा न0 217/2 का विभाजन हो चुका है जिसके बाद में नवीन नम्बर भी कायम किये जा चुके है अब पुनः खसरा नम्बर 217/2 अनुसार नक्शा कायम नही किया जा सकता है और वर्तमान नक्शा मौका अनुसार सही है। लिहाजा प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

पेरोकार सरकार तहसीलदार जमवारामगढ ने उपस्थित होकर अपने पत्र क्रमांक/ कैम्प/ 2021/740 दिनांक 29.11.21 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम माथासुला में हाल ख0न0 944, 944/1246, 944/1247 कुल रकबा 4.22 हैक्टेयर भूमि गौरीशंकर, दिनेश चन्द, उमाशंकर पि0 सीताराम कौम ब्रा0 सा0देह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिनका मिलान क्षेत्रफल के साबिक ख0न0 217/2 मी है। बाद तकासमा ख0न0 944 रकबा 1.40 हैक्टेयर उमाशंकर पुत्र सीताराम, ख0न0 1324/944 रकबा 1.39 हैक्टेयर गौरीशंकर पुत्र सीताराम, ख0न0 1325/944 दिनेश चन्द पुत्र सीताराम तथा ख0न0 944/1246, 944/1247 कुल रकबा 0.02 हैक्टेयर गौरीशंकर, दिनेश चन्द, उमाशंकर पि0 सीताराम कौम ब्रा0 सा0देह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। हाल ख0न0 944, 944/1246, 944/1247 के साबिक ख0न0 217/2 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल है। जिस पर प्रार्थीयान काबिज काश्त है। प्रार्थीयान ने उक्त भूमि का बटवारा कर लिया है। मुताबिक बंटवारा उक्त भूमि के ख0न0 1324/944, 1325/944, 944 कायम किये गये है। उक्त ख0न0 217/2 के नये ख0न0 944, 944/1246, 944/1247 नये सर्वे में कायम किये गये है उक्त खसरा नम्बर का रकबा बरारी करने पर कुल रकबा दर्ज रिकार्ड 4.22 हैक्टेयर पूर्ण नही होता है। रकबा बरारी में उक्त खसरा नम्बर का रकबा लगभग 3.75 हैक्टेयर प्राप्त होता है। उक्त ख0न0 944, 944/1246, 944/1247 के पूर्वी तरफ कायम खसरा नम्बर जो हाल नक्शा में किये गये है। ख0न0 944/1249, 942/1244, 944/1251 कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर भूमि जो भौरीलाल, रमेश पि0 बिरदा कौम मीना सा0देह की गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। पूर्व दिशा में कायम ख0न0 944/1249, 942/1244, 944/1251 को शामिल कर रकबा बरारी करने पर उक्त खसरा नम्बरान का रकबा 4.22 हैक्टेयर पूर्ण होता है। ख0न0 944/1244, 944/1249, 944/1251 के साबिक खसरा नम्बर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल 217/1/954 था, जिसका पूर्व का तरमीमी नक्शा संलग्न नही है और ना ही गत खसरा नम्बर 217/2 का तरमीमी नक्शा नकल संलग्न है। मुताबिक साबिक नक्शें व उक्त खसरा नम्बरान की रकबा बरारी के मुताबिक साबिक ख0न0 217/2 के हाल ख0न0 944, 944/1246, 944/1247 का रकबा पूर्ण करने हेतु ख0न0 944/1249, 942/1244, 944/1251 कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर को ख0न0 944, 944/1246, 944/1247 के खातेदारान दिनेश चन्द, गौरीशंकर, उमाशंकर पि0 सीताराम जाति ब्राहमण सा0देह की खातेदारी में शामिल कर रकबा पूर्ण किया जाना उचित है। जबकि साबिक खसरा नम्बर 217 के आंवटी भौरीलाल, रमेश पि0 बिरदा कौम मीना, जिनके हाल राजस्व रिकार्ड 0.51 हैक्टेयर गैर खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है, को मुताबिक कब्जे के हाल ख0न0 926 रकबा 0.20 हैक्टेयर किस्म गै0मु0टीबा दिया जाकर व मुताबिक साबिक नक्शानुसार ख0न0 926 की तरमीम

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

संलग्न नजरी नक्शानुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। मुताबिक साबिक नक्शें के हाल ०न० 925 की तरमीम दुरूस्त कर खसरा नम्बर 926 में शामिल किया जाकर कुल रकबा 0.51 ़टेयर किया जाना उचित है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड ान्यू एक्ट को स्वीकार करने में सहमति जाहिर की।

उभयपक्षो की बहस सुनने व अप्रार्थीगणों के जवाब तथा पैराकार सरकार के जवाब एवं त्रावली का अवलोकन करने पर हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132,136 लैण्ड रेवन्यू क्ट को स्वीकार करना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक जवाब तहसीलदार के अनुसार वादग्रस्त ूमि ग्राम माथासुला पटवार मण्डल माथासुला तहसील जमवारामगढ हाल आंधी में स्थित प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 217/2 हाल खसरा नम्बर 944, 944/1246, 944/1247 कायम किये गये है के नवीन नक्शें में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की जगह खसरा नम्बर 944/1251 व 942/1244 की तरमीम को प्रार्थीगण की खातेदारी नक्शें से हटाया जाकर नक्शा पूर्व खसरा नम्बर 217/2 की नक्शा तरमीम के अनुसार हाल नवीन नक्शा दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार आंधी को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 14/03/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़